उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या-154/2019/2383/92-2-2019-2टी0ए0सी0/2018
लखनऊ :: दिनांक:: 30 अक्टूबर, 2019

कार्यालय-ज्ञाप

जनपद-प्रतापगढ. में वर्ष 2014-15 में चयनित डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम गहबरा विकास खण्ड आशपुर देवसरा में सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन के निर्माण कार्यों में प्लास्टर निर्धारित मानक/मोटाई के अनुरूप न होने, नाली की तली/ब्रिक चिनाई के ऊपर में पी0सी0सी0 शक्ति में कमजोर होने, सीमेंट कंक्रीट/लीन कंक्रीट की मोटाई कम पाये जाने आदि अनियमितताओं के फलस्वरूप टी0ए0सी0 की जांच आख्या में परिलक्षित कुल शासकीय क्षति रू0 1,22,418.00 के लिए कार्य पर शिथिल नियन्त्रण हेतु प्रथम द्रष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-10/2019/105/92-2-2019-2टी0ए0सी0 /2018, दिनांक 10.01.2019 द्वारा श्री के0ए0 सिद्दीकी, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-प्रतापगढ़ के विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये प्रकरण की जॉच हेतु अधीक्षण अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-लखनऊ को पदेन जॉच अधिकारी तथा प्रकरण में विभागीय पक्ष/अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभि0 विभाग, प्रखण्ड-प्रतापगढ़ को पदेन प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नामित किया गया।

2- शासन के पत्र दिनांक 15.02.2019 द्वारा श्री के0ए0 सिद्दीकी, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-प्रतापगढ़ के विरूद्ध अनुमोदित आरोप पत्र निर्गत करते हुए जांच अधिकारी से नियमानुसार जांच कर जांच आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया। जांच अधिकारी द्वारा अपने पत्र दिनांक 09.09.2019 द्वारा नियमानुसार जांच करते हुए जांच आख्या शासन मे उपलब्ध करायी गयी।

3- अपचारी अधिकारी के विरूद्ध अधिरोपित आरोप संख्या-1 को जांच अधिकारी की जांच आख्या/विवेचना मे अपचारी अधिकारी श्री के0ए0 सिद्दीकी के बचाव उत्तर के सापेक्ष प्रमाणित नहीं पाया गया। अत: जांच अधिकारी की जांच आख्या एवं अन्य संगत अभिलेखों के सम्यक परीक्षणोपरान्त शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-10/2019/105/92-2-2019-2टी0ए0सी0/2018, दिनांक 10.01.2019 द्वारा श्री के0ए0 सिद्दीकी, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-प्रतापगढ़ के विरूद्ध संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही मे उनको दोषमुक्त करते हुए दण्ड रहित समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूद्दीन
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-154/2019/2383(1)/92-2-2019 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
2- जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-लखनऊ।
3- श्री के0ए0 सिद्दीकी, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-प्रतापगढ़ सम्प्रति प्रखण्ड-हरदोई द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
4- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।